सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 03 जुलाई, 2025 ई0

आषाढ़ 12, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 245/XXXVI(3)/2025/16(1)/2025

देहरादून, 03 जुलाई, 2025

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025' पर दिनांक 02 जुलाई, 2025 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 13 वर्ष, 2025 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य को शिक्षा हब के रूप में विकसित करने और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों में भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि रूड़की में "फॉनिक्स विश्वविद्यालय," पौडी गढ़वाल में "एथिक्स विश्वविद्यालय", देहरादून में "द यूनिवर्सिटी ऑफ नार्थ वेस्ट हिमालयाज" तथा रूड़की में "श्री ओम विश्वविद्यालय" नाम से निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जायेगें। उक्त विश्वविद्यालयों का लक्ष्य शिक्षा का अभिनवीकरण, अध्यापन और ज्ञानोपार्जन की नवीन पद्धति के लिए और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करना, सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को शिक्षा प्रदान करना, राज्य विषयक शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना तथा रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना है।

2– उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 (यथासंशोधित) में प्रकाशन की त्रुटियों एवं अन्य धाराओं में संशोधनों को किया जाना भी समीचीन है।

3– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

डॉ0 धन सिंह रावत
मंत्री